न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2025-527RAABarmer2025-258RTA223 Bhanidevi ors Vs Chaukharam etc

01. श्रीमती भाणी पत्नी हरचन्द
02. तेजाराम पुत्र हरचन्द
जाति – मेगवाल निवासी धोरीमन्ना जिला बाडमेर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. चौखाराम पुत्र रुपाराम जाति मेगवाल निवासी राणासर कल्ला तहसील पोरीमन्ना जिला बाडमेर।
2. तारीदेवी पत्नी धनाराम
3. दिनेश कुमार पुत्र घनाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमती तारीदेवी
4. फगलुराम पुत्र हरचन्दराम
5. भीमाराम पुत्र धनाराम नाबालिग जरिये कुदरती बली माता श्रीमती तारीदेवी
6. सुरेश कुमार पुत्र धनाराम जाति मेगवाल निवासी धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर
7. मोटाराम पुत्र जगाराम जाति मेगवाल निवासी बाछला तहसील सेडवा जिला बाडमेर।
8. शंकरलाल पुत्र मांगाराग जाति मेगवाल निवासी सुदाबेरी तहसील धोरीगन्ना जिला बाडमेर।
9. ओमप्रकाश पुत्र डालुराम जाति मेगवाल निवासी धोरीगन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर।
10. राजस्थन राज्य जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 सितंबर 2025 सहायक कलक्टर धोरीमन्ना राजस्व मूल वाद संख्या 232/2021 चौखाराम बनाम तारी इत्यादि

उपस्थित–
श्री सुरेश सोनी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स

नि र्ण य

दिनांक : 14 जनवरी 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 232/2021 अनवान चौखाराम बनाम तारी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 सितंबर 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 26 सितंबर 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53, 92 क, 188 व 209 के तहत इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी मौजा धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना खेत खसरा नंबर 363/4 रकबा 1.1817 हैक्टेयर वादी एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। उक्त खेत मूल खसरा नम्बर 363/1 मूल रकबा 36 बीघा 11 बिस्वा मूल खातेदार तेजाराम पुत्र हरचन्दराम जाति मेगवाल निवासी धोरीमन्ना से हरीराम पुत्र मोटाराम जाति मेगवाल ने दिनांक 20.08.2009 को जरिये विक्रय पत्र 1 बीघा भूमि अर्थात कुल रकबा का 20/731 हिस्सा क्रय किया गया था एवं तत:पश्चात् मूल खातेदार धनाराम पुत्र हरचन्द द्वारा प्रकाश पुत्र डुंगराराम को दिनांक 04.11.2009 को 1.4366 बीघा भूमि एवं ततपश्चात् क्रेता प्रकाश द्वारा उक्त क्रय सुदा 1 बीघा भूमि दिनांक 02.02.2010 को वादी ने क्रय की। इस प्रकार उपरोक्त दोनो बेचानो में कुल 2.4366 हेक्टेयर भूमि क्रय की गई जिससे वादी का नाम बतौर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज चला आ रहा है एवं ततपश्चात् विभाजन करने से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 363/7 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा वर्तमान में 1.1817 हेक्टेयर में से 1315/3939 वादी के हिस्से में खातेदारी दर्ज है, जिसे वादी अपनी खातेदारी में घोषित करवाना चाहता है एवं पूर्व में बाहमी बंटवाडा हो रखा है एवं वादी वक्त खरीद से काबिज काश्त चला आ रहा है, परन्तु राजस्व अभिलेखो में हिस्से खुले नहीं होने के कारण प्रक्षकारो के मध्य विवाद बना रहता है। ऐसी स्थिति में वादी अपने हिस्से अनुसार अपनी भूमि को विभाजित करवाना चाहता है एवं स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है कि ताकि उसके कब्जे काश्त में अनुचित दखलदांजी प्रतिवादीगण नहीं करें। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलकर्ता संख्या 2 द्वारा अपने आपको पक्षकार संयोजित करने हेतु एक आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी पी सी का दिनांक 15.02.2022 को प्रस्तुत किया गया जिस आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाकर दिनांक 04.08.2023 को अपीलकर्ता संख्या 2 को बतौर प्रतिवादी संख्या 9 के रूप में संयोजित किया गया। अपीलकर्ता संख्या 2 द्वारा उक्त वाद पत्र में जबाबदावा मय काऊन्टर दावा दिनांक 15.09.2023 को प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 13.5.2025 को वादी के वाद पत्र व प्रतिवादीगण के काऊन्टर क्लेम को स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये। दिनांक 08.08.2025 को पुनः एक आवेदन पत्र आदेश 1 नियम 10 सी पी सी उतरदाता संख्या 8 व 9 द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिस पर उसी दिन उक्त आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर उत्तरदाता संख्या 8 व 9 को बतौर वाद में हितबद्ध पक्षकार होने के कारण बतौर प्रतिवादी के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया। तहसीलदार से विभाजनप प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 10.09.20225 को अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.05.2025 के अनुसरण में वादग्रस्त खेतो को विभाजित करवाने हेतु उत्तरदाता संख्या 10 को अधिकृत किया गया था, परन्तु उतरदाता संख्या 10 द्वारा अपीलकर्ता एवं दीगर प्रतिवादीगण के वास्तविक एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

भौतिक कब्जे काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। अपीलकर्ता के कब्जे एवं काश्त की भूमि पर अवस्थित ढाणीयां व चारागाह इत्यादि दीगर उत्तरदातागण के हिस्से में रखते हुए एवं नियम 18 से 21 के विरूद्ध जाकर पक्षकारों के भौतिक कब्जे के विपरित एक पक्षीय विभाजन प्रस्ताव बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त एकपक्षीय विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान् के भौतिक कब्जे के विपरित होने के कारण से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पूर्णतया विधिनुसार दुषित हो चुके है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा बनाये गये विभाजन प्रस्ताव के संबंध में अपीलकर्ता को आपत्ति पेश करने का अवसर नहीं दिया गया था एवं दिनांक 01.09.2025 को जो विभाजन प्रस्ताव बनाया गया, उसके संबंध में तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपीलकर्ता को किसी प्रकार की कोई सूचना, नोटिस इत्यादि नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त एकतरफा विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है जो अपीलकर्ता के हितो के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में अपीलकर्तागण द्वारा किसी प्रकार की कोई सहमति इत्यादि नहीं दी थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में एकपक्षीय विभाजन के संबंध में सहमति का अंकना करते हुए तथा संशोधित वाद शीर्षक रेकर्ड पर लिये बिना ही विवादित निर्णय व डिक्री पारित किये गये है। ऐसी दशा में उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिकी निरस्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 232/2021 में पारित अन्तिम डिक्री व निर्णय दिनांक 10 सितंबर 2025 को अपास्त किया जावे एवं मामला पुनः परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर अपीलकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करने का आदेश प्रदान करावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01.09.2025 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व पक्षकारान् को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये है, जिसकी द्वितीय प्रति विचारण न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 94 से 99 पर उपलब्ध है। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार धोरीमन्ना ने स्वयं मौके पर जाकर उभय पक्ष को सम्यक रूप से सूचित कर उनकी(वादीगण एवं प्रतिवादीगण) उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है तथा सभी पक्षकारान् को सड़क पर समानुपात में भूमि प्रदान की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष किसी भी पक्षकार की ओर से आपत्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं विभाजन प्रस्ताव अनुसार विभाजन किये जाने की सहमति/

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निवेदन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने पाये जाते है।

अपीलांट्स का उज्र है कि तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा उन्हे विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व सूचित नहीं किया गया तथा न ही विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें विभाजन प्रस्ताव पर सुना है। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा जारी नोटिसों एवं विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स की ओर से मुकर्रर अधिवक्ता की सहमति के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट्स के उक्त उज्र मिथ्या साबित होते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि सम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 232/2021 अनवान चौखाराम बनाम तारी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 सितंबर 2025 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर लिंक अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर